SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

भारतीय समाज सुधार में ब्रिटिश प्रशासन की भूमिका का विश्लेषण

आशुतोष मीणा, (Ph.D.), लोक प्रशासन विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आबूरोड, राजस्थान, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author
आशुतोष मीणा, (Ph.D.), लोक प्रशासन विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आबूरोड, राजस्थान, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 13/03/2021
Revised on : -----
Accepted on : 20/03/2021
Plagiarism : 00% on 13/03/2021

शोध सार

भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कई सकारात्मक परिवर्तन हुए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का आधिपत्य लिया तब भारत आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व तकनीकी रूप से बहुत पिछड़ा हुआ था। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अधिकार करने के बाद भारत का आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण और औद्योगीकरण शुरू किया। इस आधुनिकीकरण में महिलाओं को अधिकार देना, ब्राम्हणवादी–जाति व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास, कई पिछड़ी हिंदू धार्मिक मान्यताओं जैसे सती प्रथा, दास प्रथा, पुरुषों द्वारा महिलाओं पर वर्चस्व, अछूतों के साथ अत्याचार और एक पूरे वर्ग के लोगों को किसी भी अधिकार से वंचित करना शामिल था। ब्रिटिश शासन ने भारत के लिए लंबे समय तक काम किया। शिक्षा नीति, अंग्रेजी शिक्षा, विज्ञान, आधुनिक तकनीक और पश्चिमी संस्कृति ने भारत को एक बढ़ती क्षेत्रीय महाशक्ति बनने का अवसर दिया। विधि का शासन व प्रशासनिक व्यवस्था ने भारतीय समाज को प्रगतिशील बनाने में मुख्य भमिका निभाई। भारत का उपनिवेशीकरण भारत के लिए मददगार था क्योंकि इसने भारत को आधुनिक बनाने के लिए एक लंबा रास्ता तय किया और भारत को आज एक सफल देश बनने का अवसर दिया। इस शोध पत्र में अंग्रेजों के सामाजिक सुधार में योगदान का निष्पक्ष मूल्यांकन किया गया है।

मुख्य शब्द

ब्रिटिश भारत में समाजिक न्याय, अंग्रेजों का योगदान, सामाजिक सुधार और ब्रिटिश प्रशासन, मैकाले की शिक्षा नीति और विधि का शासन, अंग्रेजों द्वारा आधुनिक भारत का निर्माण, ब्राम्हणवाद एवं ब्रिटिश शासन.

परिचय

ब्रिटिश तकनीक और आधुनिक शिक्षा से सब बदल गया। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अधिकार कर लिया तो वे अपने साथ आधुनिक तकनीक भी लाए। उन्होंने आधारभूत संरचना की स्थापना की शुरूआत की। उन्होंने पूरे भारत में माल और लोगों को लाने ले जाने के लिए सड़कों और रेलमार्गों का निर्माण किया। वे अपने साथ आधुनिक कृषि तकनीक भी लाए जिसने भारतीय किसानों को अधिक कुशल और उत्पादक बनाया। ये निस्संदेह भारत के लिए सकारात्मक घटनाक्रम थे।

आधुनिक उद्योग के साथ–साथ उस समय दुनिया की सबसे अच्छी पश्चिमी शिक्षा भी भारत आई। अंग्रेजों द्वारा भारतीय शिक्षा में किए गए निवेश ने भारत को उस समय के अन्य विकासशील राष्ट्रों में एक कदम आगे बढ़ा दिया। जब ब्रिटिश भारत में बस गए तो अंग्रेजी स्कूल भी शुरू हो गए।

ब्रिटिश भारत में शैक्षिक नीतियां व सुधार

प्रारंभ में अंग्रेजों ने भारतीयों को शिक्षा देने में कोई रुचि नहीं ली। अरबी, फारसी और संस्कृत में लिखे गए प्राचीन ग्रंथों पर आधारित शिक्षा प्रणाली जारी रही। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में अरबी और फारसी भाषाओं के साथ मुस्लिम कानूनों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए एक मदरसा की स्थापना की। ब्रिटिश निवासी जोनाथन डंकन के प्रयासों से 1791 में बनारस में हिंदू कानूनों और दर्शन के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए एक संस्कृत कॉलेज शुरू किया गया था। 19वीं शताब्दी के पहले तीन दशकों के दौरान शिक्षा व्यवस्था केवल पारंपरिक शिक्षा प्रणाली पर आधारित थी।

7 मार्च 1813 में ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर सभी जातियों और धर्मों के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया। विलियम विल्बरफोर्स और चार्ल्स ग्रांट ने कहा था कि "भारतीय समाज पुजारियों के अंधविश्वास, मूर्तिपूजा और अत्याचारों से भरा हुआ है"।[1]

लार्ड मेकाले ने शिक्षा को राज्य सूची का विषय बनाया। भारतीय समाज का आधुनिकीकरण करने के लिए मैकाले ने 2 फरवरी, 1835 को 'शिक्षा पर मिनट' प्रसारित किया – एक ऐसा ग्रंथ, जिसमें अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के प्रावधान के साथ–साथ भारत में यूरोपीय शिक्षा, विशेषकर विज्ञान के प्रचार–प्रसार पर विशेष जोर था। लॉर्ड मैकाले ने तर्क दिया कि संस्कृत और फारसी भाषा को भारतीय स्कूलों से विदा कर देना चाहिए। मैकाले ने प्रस्ताव में लिखा "एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का एक शेल्फ भारत और अरब के पूरे मूल साहित्य से अधिक लाभदायक है।"[2]

मैकाले ने भारतीय व्यक्तियों के वर्ग, रक्त और रंग में भारतीय लेकिन स्वाद, विचारों, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेजी सभ्यता में ढ़लने की परिकल्पना की। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 के माध्यम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले के प्रस्ताव को प्रभावी किया।

सर चार्ल्स वुड ने 1854 में शिक्षा पर एक महती योजना प्रस्तुत की, इसके प्रावधान निम्न थे:

- पांच प्रांतों में सार्वजनिक निर्देशों के विभागों की स्थापना।
- शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान।
- तकनीकी शिक्षा, शिक्षक व महिला शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थापना पर जोर।
- लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना।

ईस्ट इंडिया कंपनी ने पारंपरिक शिक्षा की प्रचलित प्रणाली के स्थान पर पश्चिमी शिक्षा, विज्ञान और अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया। 1849 में जॉन ई बैथून द्वारा कलकत्ता में भारत में प्रथम महिला स्कूल की स्थापना की जो 1879 में कॉलेज बना।[3]

24 जनवरी 1857 कलकत्ता विश्वविद्यालय[4], 5 सितम्बर 1857 को मद्रास विश्वविद्यालय[5] और 18 जुलाई 1857 को बॉम्बे विश्वविद्यालय[6] स्थापित किये गए। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया।

सामाजिक सुधार

शुरुआत में अंग्रेजों ने व्यापारिक लाभ खोने के डर से भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक रीति–रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं किया। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में शुरू किए गए सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों ने देश की सामाजिक बुराइयों के प्रति कंपनी के प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। विभिन्न पत्रिकाओं और अखबारों में व्यक्त पश्चिमी विचारों ने शिक्षित भारतीयों के दिमाग पर असर डाला। लॉर्ड बेंटिक जैसे कुछ ब्रिटिश प्रशासकों ने इस मामले में व्यक्तिगत रुचि ली। ब्रिटिशों ने मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में कानून बनाए:

(1) महिलाओं का उद्धार (2) रूढ़िवादी जाति व्यवस्था

महिलाओं से संबंधित सामाजिक सुधार

सतीप्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, कन्या–भ्रूण हत्या, वधू का मूल्य, बहुविवाह, आर्थिक स्थिति में असमानता और महिलाओं के लिए विरासत में कोई हिस्सा न होने जैसी कई कुप्रथाएं भारत में मौजूद थीं।

सती प्रथा पर रोक : भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने का पहला प्रयास लॉर्ड बेंटिक ने किया जब उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया। पति की मृत्यु पश्चात महिला को अपने पति की चिता में जलना पड़ता था। बंगाल सती रेगूलेशन एक्ट, 4 दिसम्बर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं का पति की चिता के साथ सती होना अवैध घोषत किया गया। इस कानून का ब्राह्मणों द्वारा यह कहकर विरोध किया गया कि ब्रिटिश सरकार धार्मिक मामलों में दखल दे रही है। धर्म सभा ने सती प्रथा पर प्रतिबंध के विरूद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील की थी।[7]

कन्या शिशु हत्या पर रोक : यह विशेष रूप से उच्च वर्ग के बंगालियों, राजपूताना, पंजाब और उत्तर पश्चिमी प्रांतों में एक आम बात थी, जहाँ महिलाओं को आर्थिक बोझ माना जाता था। कन्या शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद अफीम खिलाकर, गला घोंटकर या उनकी उपेक्षा करके मार दिया जाता था। पारिवारिक अभिमान व दहेज आदि जैसे कारक इस सामाजिक बुराई के लिए जिम्मेदार थे। 1795 और 1804 के बंगाल रेगूलेशन अधिनियमों ने कन्या शिशु की हत्या को अवैध घोषित किया और इस तरह 'फिमेल इंफेंटिसाइज प्रवेन्शन एक्ट 1870' की धारा 7 के तहत कन्या भ्रूण हत्या को निषेध किया।[8] अधिनियम में प्रावधान किया कि माता–पिता के लिए सभी बच्चों के जन्म को पंजीकृत करना अनिवार्य था और विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां यह रिवाज बहुत ज्यादा प्रचलित था, जन्म के बाद कुछ वर्षों तक कन्या शिशुओं का सत्यापन किया जाता था।[9]

विधवा पुनर्विवाह : प्राचीन भारत में विधवा पुनर्विवाह की सामाजिक स्वीकार्यता थी लेकिन कालान्तर में यह समाप्त हो गई। विधवाओं का जीवन बहुत कठिनाई पूर्ण था। विधवाओं को अशुभ माना जाता था, पुनः विवाह की अनुमति नहीं थी। अँग्रेजी अफसरों का इस ओर ध्यान गया और 26 जुलाई 1856 को 'विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856' लागू किया गया।[10] विधवा को भी विवाह करने का अधिकार देकर अंग्रेजो ने महिलाओं पर बहुत बड़ा उपकार किया।

बाल विवाह पर रोक : 1846 में लड़की की न्यूनतम आयु केवल 10 वर्ष थी। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट (सिविल मैरिज एक्ट) में बाल विवाह निषेध के लिए विधायी कार्रवाई का प्रयास किया था, लेकिन यह बहुत सीमित परिधि में था।

'1891 में 'एज ऑफ कंसेंट एक्ट' पारित किया गया जिसमें लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई।[11] 1930 में शारदा अधिनियम ने इस आयु को बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया। आजादी के बाद बाल विवाह निरोधक (संशोधन) अधिनियम 1978 में इसे 18 साल कर दिया गया।

1860 (दंड संहिता) के एक्ट की धारा 375 के तहत एक महिला के साथ संभोग के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई साथ ही महिला की सहमति या इच्छा के बिना संभोग बलात्कार की श्रेणी में मानने का प्रावधान किया गया।

पर्दा प्रथा : पर्दा प्रथा दक्षिणी भारत में प्रचलित नहीं थी और किसानों के बीच अपेक्षाकृत कम पाई जाती थी। महिला शिक्षा व राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की बड़े पैमाने पर भागीदारी के माध्यम से यह प्रथा बिना किसी विशिष्ट विधायी उपाय के लगभग समाप्त हो गई।

देवदासी प्रथा पर रोक : दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा प्रचलित थी, जिसमें निम्न–जाति की 6 से 10 वर्ष की लड़कियों का हिंदू देवी–देवता से विवाह कराया जाता था और मंदिर के महन्त–पुजारी द्वारा यौन शोषण किया जाता था।[12] इन्हें भगवान की दासी कहा जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से देवता प्रसन्न होगा और परिवार पर कृपा होगी। ब्रिटिश सरकार ने प्रभावी रूप से देवदासी प्रथा–मंदिर वेश्यावृत्ति को 1924 में भारतीय दंड संहिता की धारा 372 और 373 में संशोधन कर लडकियों के मंदिर में समर्पित करने व वैश्यावृत्ति में धकेलने को गैर कानूनी घोषित किया।[13] सबसे पहले बॉम्बे देवदासी संरक्षण अधिनियम 1934 में प्रावधान किया कि चाहे लड़की की सहमति हो या नहीं इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया।[14] मद्रास देवदासी (समर्पण निवारण) अधिनियम 1947, कर्नाटक देवदासी निषेध अधिनियम 1982, आंध्र प्रदेश देवदासी (समर्पण निषेध) अधिनियम 1988 और महाराष्ट्र देवदासी (समर्पण का उन्मूलन) अधिनियम 2005 पारित किए गए।[15] वर्तमान में भी यह प्रथा पूर्णतः समाप्त नहीं है।

महिलाओं को संपत्ति में अधिकार : भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1865, जो महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले पहले कानूनों में से एक था, इसे व्यक्तिगत कानूनों के दायरे से नागरिक कानून में स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया था। ईसाई विवाह के लिए भारतीय विवाह अधिनियम 1864 में पूरी तरह से प्रक्रियाएं और सुधार थे।[16] विधिक सुधार जैसे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, मेरिड वूमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1923 और हिंदू इंहेरीटेन्स (रिमूवल ऑफ डिस्एबिलिटीज) एक्ट 1928 पारित किए गए जो महिलाओं के लिए फायदेमंद थे और इस कदम से हिंदू महिला को संपत्ति के अधिकार की अनुमति मिली।[17]

जाति व्यवस्था से संबन्धित सामाजिक सुधार

जाति व्यवस्था मुख्य रूप से समाज के चार प्रकार के विभाजन पर आधारित थी– ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जाति व्यवस्था जन्म आधारित थी और कठोरता से लागू थी। हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण सर्वोच्च था और शूद्र सबसे निम्न। 19वीं शताब्दी तक जातियों को जन्म के आधार पर असंख्य उप–जातियों में विभाजित कर दिया गया था।

दास प्रथा : दास प्रथा ब्रिटिश सरकार के ध्यान में आई, इसलिए भारत में चार्टर एक्ट 1833 के तहत दासता को समाप्त कर दिया गया और द इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 के अधिनियम की धारा 5 के तहत गुलामी की प्रथा को कानून द्वारा अवैध घोषित किया गया। 1860 की दंड संहिता द्वारा भी दासता के व्यापार को अवैध घोषित किया गया।

नरबलि प्रथा पर रोक : देश के कई हिस्सों में देवी–देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि की प्रथा थी। तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बैंटिक ने 1830 में इस प्रथा पर रोक लगाई।[18]

'कूर' प्रथा पर रोक : बनारस में हिंदुओं के बीच प्रचलित अजीबोगरीब, असाधारण और अमानवीय प्रकृति का भयानक संस्कार था। इसमें लकड़ी का एक बड़ा गोलाकार ढेर बनाकर इसमें किसी बूढ़ी महिला को बैठाकर अग्नि को समर्पित किया जाता था। इसी प्रकार एक अन्य प्रथा ब्राह्मणों द्वारा किसी भी व्यक्ति के घर के आगे धन व दान–दक्षिणा की मांग करते हुए 'धरने पर बैठ' जाया जाता था और आत्महत्या की धमकी दी जाती थी। ब्रह्म हत्या के पाप से घबराकर लोग समर्पण कर देते थे और उन्हें दान व धन देने को मजबूर होना पड़ता था। अँग्रेजों ने बंगाल रेगूलेशन एक्ट 1795 की धारा 21 के तहत बनारस प्रांत में ब्राह्मणों को 'कूर' के आयोजन, महिला या बच्चों को मारना व 'धरने पर बैठने' पर प्रतिबंध लगा दिया और ऐसा करने पर दण्ड का प्रावधान किया।[19]

बच्चे के गंगादान पर रोक : सोगोर द्वीप, बंशबर्य, चौगढ़ और गंगा पर अन्य स्थानों पर नवंबर में और जनवरी माह में विशेषकर पूर्णिमा के दिन बच्चों को पानी में फेंक कर बलिदान दिया जाता था। शूद्रों के पहले बच्चे का गंगा दान कर दिया जाता था। यह धार्मिक–अंधविश्वास का क्रूर उदाहरण था। गंगा नदी के आस पास सौगोर और अन्य स्थान पर बच्चों के बलिदान को रोकने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा 20 अगस्त 1802 को रेगूलेशन पारित किया।[20]

चरक पूजा पर रोक : पश्चिमी बंगाल और उत्तर भारत के इलाकों में 'चरक पूजा' प्रचलित थी जिसमें शिवजी को प्रसन्न करने के लिए भक्त लकड़ी के मजबूत पोल के ऊपरी भाग पर एक चक्र बांध कर, इस चक्र से पर लोहे के हुकों को रस्सी से बाधंकर अपनी पीठ की चमड़ी में चुभाकर लटक जाते थे। अँग्रेजों ने इस अमानवीय प्रथा पर 1865 में प्रतिबंध लगा दिया।[21]

न्यायिक व्यवस्था की स्थापना : 1773 में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने रेगुलेटिग एक्ट पास किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर न्यायिक व्यवस्था की शुरूआत की गई। 5 अगस्त 1775 को इसी न्यायिक व्यवस्था द्वारा ब्रिटिश भारत में पहली बार किसी ब्राह्मण, बंगाल के सामन्त नन्द कुमार देव को भ्रष्टाचार के मामले में फांसी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस सर इलीजा इम्पे के सामने नंदकुमार देव की ट्रायल हुइ थी।[22]

इससे पूर्व की ब्राम्हणवादी धार्मिक व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण को मृत्यु दण्ड नहीं दिया जा सकता था।[23] प्राचीन भारत में सजा की प्रकृति अपराधी और पीडित की जाति के अनुसार भिन्न होती थी। एक सामान्य नियम के रूप में जब उच्च जाति का व्यक्ति किसी अन्य जाति के लोगों के साथ अपराध करेगा तो सजा कम गम्भीर, लेकिन यदि यही अपराध निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति के साथ करेगा तो उसकी सजा अधिक गम्भीर होगी। एक अपवाद ब्राह्मण वर्ग था जिसे गंभीर मामलों में भी शारीरिक दंड से छूट दी जाती थी, इसलिए इस व्यवस्था में उच्चतम जाति ब्राह्मण, सबसे अनुकूल स्थित में और शूद्र वर्ग सबसे प्रतिकूल स्थित में था। चोरी, डकैती, धोखाध ाड़ी, हत्या और राजद्रोह के मामले में ब्राह्मणों और गैर–ब्राह्मणों के बीच सजा में अंतर था।[24] यदि गैर ब्राह्मण व्यक्ति ने अनजाने में कोई अपराध किया हो तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त की जा सकती थी, लेकिन ब्राह्मण पर यह दंड लागू नहीं था।[25]

कास्ट डिस्एबिलिटीज रिमूवल एक्ट[26] 1850 : ब्रिटिश भारत में पारित एक कानून था, जिसने दूसरे धर्म या जाति में परिवर्तित होने वाले लोगों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले सभी कानूनों को समाप्त कर दिया। नए अधिनियम के तहत हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित होने वाले हिंदुओं को समान अधिकारों की अनुमति दी।

ठगी पर रोक[27] : विलियम बैंटिक ने ठगी और डकैती दमन अधिनियम, 1836–1848 के माध्यम से ठगी को अपराध घोषित किया।

जनगणना प्रारम्भ[28] : 1871 में अंग्रेजों ने भारत में सबकी जातिवार गणना प्रारम्भ की। यह जनगणना 1941 तक हुई। स्वतंत्रता पश्चात 1948 में जातिवार जनगणना बंद कर दी गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 के ड्रॉफ्ट रूल में अँग्रेजों ने लिखा था कि ''भारत में धार्मिक रूप से प्रभुत्वशाली ब्राह्मण 3 प्रतिशत हैं लेकिन सरकार में इनकी 80 प्रतिशत भागीदारी है।''[29]

सरकारी सेवा में भर्ती भेदभाव रहित : 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 में घोषणा की गई कि "भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का कोई भारतीय निवासी, और उसके प्राकृतिक जन्म के विषय, केवल उसके धर्म, जन्म स्थान, वंश, रंग द्वारा किसी भी कारण से उनमें से कोई भी कंपनी के अधीन किसी भी जगह, कार्यालय या रोजगार से अक्षम नहीं हो सकता" ।[30] इस प्रकार 1833 का चार्टर अधिनियम पहला अधिनियम था, जिसने प्रशासन में भारत के मूल निवासियों को स्वतंत्र रूप से भर्ती करने का प्रावधान किया गया।

विधि का शासन : 1834 में भारतीय विधि आयोग का गठन हुआ जिसके चेयरमेन लार्ड मैकाले थे। आयोग

का प्रमुख उद्देश्य जाति, वर्ण, धर्म और क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर कानून बनाना था। मैकाले का प्रयास था पुरातनपंथी, भ्रामक, अस्पष्ट और भेदभाव पर आधारित न्याय व शासन व्यवस्था के स्थान पर भारत में सभी के लिए समान कानून बने और कानून में एकरूपता हो। इंडियन पेनल कोड 1860, पुलिस अधिनियम 1861, क्रिमिनल प्रोसेजर कोड 1872, सिविल प्रासेजर कोड 1908 इत्यादि कानून वर्ण, जाति, धर्म, रंग व स्थान के आधार पर भेदभाव से परे बनाए गए।

रैयतवाड़ी व्यवस्था : 1820 में गवर्नर जनरल थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करके प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया।[31] इससे दलित–पिछड़ों के लिए भूमि खरीदने व बेचने का मार्ग खुला।

कम्युनल अवार्ड[32] : 24 सितम्बर 1932 को अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया जिसमें प्रमुख अधिकार व्यस्क मताधिकार, विधान मण्डलों और संघीय सरकार में जनसंख्या के अनुपात में वंचितों को आरक्षण का अधिकार, सिख, ईसाई और मुसलमानों की तरह दलितों को भी स्वतन्त्र निर्वाचन के क्षेत्र का अधिकार मिला। जिन क्षेत्रों में दलित प्रतिनिधि खड़े होंगे उनका चुनाव केवल दलित ही करेगें। प्रतिनिधियों को चुनने के लिए दो बार वोट का प्रावधान था, जिसमें एक बार सिर्फ अपने प्रतिनिधियों को वोट देंगे दूसरी बार सामान्य को।

लेबर लॉ[33] : 1946 में अँगेजों ने लेबर लॉ बनाकर लेबरों को अधिकार दिए।

निष्कर्ष

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा व सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। अँग्रेजी शासन विशेष रूप से पीडित, शोषित व मानव अधिकारों से वंचित देश की आबादी के 80 प्रतिशत हिस्से के लिए लाभदायक था। शिक्षा नीति, अँग्रेजी भाषा व विज्ञान पर आधारित होने के कारण भारतीयों को विदेशी साहित्य, विदेशी ज्ञान व वैश्विक सूचनाओं की जानकारी होने लगी, फलस्वरूप जनता जाग्रत हुई और विज्ञान–तकनीक में रूचि उत्पन्न हुई। भारतीय पुरूष प्रधान समाज में महिला की स्थिति सेविका व उपभोग की वस्तु से अधिक नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने महिलाओं के लिए स्कूल–कॉलेज खोलकर शिक्षा का अवसर दिया। इससे पूर्व भारत में शिक्षा धर्म शास्त्रों पर आधारित थी यह भी सभी के लिए नहीं थी। शिक्षा के अधिकार से वंचित शूद्रों को पढ़ने का अवसर मिला। देश काल्पनिक कहानियों, अन्धविश्वास व पाखण्ड में जकड़ा हुआ था, अँग्रेजी सरकार ने भारतीयों को वैज्ञानिक दुनिया से रूबरू करवाया। ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नीति ने आधुनिक समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। स्वतंत्रता आन्दोलन के बीज भी इसी शिक्षा नीति से रोपित हुए।

ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर कई अमानवीय सामाजिक कुरूतियों सतीप्रथा, बालविवाह, कन्या भ्रूण हत्या, देवदासी प्रथा को समाप्त करके महिलाओं को इन अमानवीय शोषणकारी परंपराओं से मुक्त किया। विधवा पुनर्विवाह का नियम बनाकर विधवाओं को शापित जीवन से बाहर निकाला। महिलाओं को सम्पत्ति में हिस्सेदारी का प्रावधान कर उनके जीवन को सुरक्षा प्रदान की।

कठोर जातिगत संरचना में जकड़े देश में रूढिवादी, अन्धविश्वासी, अवैज्ञानिक, अमानवीय परम्पराएं व विभिन्न कुरूतियों पर प्रतिबंध लगाकर लोगों को आधुनिक व सभ्य बनाने का प्रयत्न किया। अछूतों–दलितों, पिछड़ों व महिलाओं के लिए अँग्रेज किसी मसीहा से कम नहीं थे। दासप्रथा, ठगी प्रथा इत्यादि को प्रतिबंधित किया। अँग्रेजों ने समाज को सभ्य बनाने में जो प्रयास किए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए।

भारत मे 'विधि के शासन की स्थापना' का श्रेय भी अंग्रजी शासन को जाता है। प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, कार्मिक प्रशासन, न्यायिक प्रशासन, जेल प्रशासन, राजस्व प्रशासन, भारतीय रेलवे, डाक व तार की स्थापना इत्यादि ब्रिटिश शासन की देन है।

अंग्रेजों ने भारतीयों को उनका इतिहास बताया। पुरातत्व विभाग की स्थापना की जिससे भारतीय भारत के गौरवशाली इतिहास को जान सके। इस प्रकार सामाजिक सुधारों के दृष्टिकोण से ब्रिटिश शासन का अध्ययन किया

जाए तो यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश शासन न होता तो भारतीय समाज कभी भी अन्धकार से बाहर नहीं निकल पाता। भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन की नींव भी अंग्रेजों ने ही लगाई थी। भारतीय जाग्रत हुए, स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक उच्च शिक्षित थे, लगभग सभी ने विदेशों में अध्ययन किया था। शिक्षा व्यवस्था व जाग्रति के कारण ही ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, पेरियार, डॉ अम्बेडकर व महात्मा गाँधी समाज सुधार करने में सफल हो सके।

सन्दर्भ सूची

1. https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/social-legislation-under-british-rule-1444624177-1
2. https://www.indiatoday.in/education-today/gk-current-affairs/story/a-minute-to-acknowledge-the-day-when-india-was-educated-by-macaulay-1160140-2018-02-02
3. Acharya, Poromesh (1990). *"Education in Old Calcutta"*. In Chaudhuri, Sukanta (ed.). Calcutta: The Living City. Volume I: The Past. Oxford University Press. p. 87. ISBN 978-0-19-563696-3.
4. https://www.caluniv.ac.in/about/Foundation.html
5. https://www.unom.ac.in/
6. https://admi.mu.ac.in/about-university.html
7. S. Muthiah (2008). Madras, Chennai:*A 400-year Record of the First City of Modern India.* Palaniappa Brothers. pp. 484–. ISBN 978-81-8379-468-8.
8. "Indian Short Titles Act (XIV), 1897" in *Government of India, Legislative Department* (1899). The unrepealed general acts of the Governor General in Council: with chronological tables. From 1834 to 1903, both inclusive, Volume 6. Calcutta: Superintendent of Govt. Printing. p. 337
9. Section 2-4 of The Unrepealed General Acts of the Governor General in Council, p. PA166, at Google Books
10. https://lawcommissionofindia.nic.in/51-100/report81.pdf
11. Sinha, Mrinalini (1995). *Colonial masculinity:* the 'manly Englishman' and the' effeminate Bengali' in the late nineteenth century. Manchester: Manchester University Press. p. 138. ISBN 978-0-7190-4653-7.
12 Shingal, Ankur, THE DEVADASI SYSTEM: Temple Prostitution in India Permalink https://escholarship.org/uc/item/37z853br Journal *UCLA Women's Law Journal*, 22(1)
13. Chawla, Anil, Devadasis-Sinners or Sinned Against: An Attempt to Look at The Myth And Reality of History And Present Status of Devadasis, Samarthbharat 1, 25 (2002), http://www.samarthbharat.com/files/ devadasihistory.pdf.
14. Text of the act is available at http://maharashtracivilservice.org/cms/ downloads/ 515a978a94745.pdf.
15. Id. at 25-26. See also Lee, supra note 11, at 10-11 (providing a summary of the Maharashtra Devadasi Act
16. Samaddar, Ranabir (2005). *The Politics of Autonomy: Indian Experiences*. SAGE Publications. ISBN 978-0-7619-3453-0.
17. Chavan, Nandini; Kidwai, Qutub Jehan (2006). *Personal Law Reforms and Gender Empowerment*: A Debate on Uniform Civil Code. Hope India Publications. ISBN 978-81-7871-079-2.

18. Showick Thorpe Edgar Thorpe (2009). *The Pearson General Studies Manual 2009*, 1/e. Pearson Education India. pp. 103. ISBN 978-81-317-2133-9
19. अम्बेडकर, बी.आर. *राइटिंग्स एंड स्पीचेज,* वोल्यूम 12, पृ.सं. 115
20. अम्बेडकर, बी.आर. *राइटिंग्स एंड स्पीचेज,* वोल्यूम 12, पृ.सं. 126
21. 'A Barbarous Practice':Hook-Swinging in Colonial Bengal. History Matters 11 (2014):24-43, History MattersUndergraduate Journal, Issue 11, 2013-14
22. https://en.wikipedia.org/wiki/Regulating_Act_of_1773
23. Doongaji, Damayanti. Crime and Punishment in Ancient Hindu Society
24. दास गुप्ता, राम प्रसाद, *क्राइम एंड पनिश्मेंट इन एन्सिएंट इंडिया,* कलकत्ता बुक, 1930, पृ.सं. 36–40
25. Doongaji, Damayanti. Crime and Punishment in Ancient Hindu Society
26. नागपाल, रमेश सी, *मॉडर्न हिन्दू लॉ,* मानव लॉ हाउस, इलाहबाद, 1983
27. K. Wagner (2007). *Thuggee: Banditry and the British in Early Nineteenth-Century India.* Springer. pp. 7, 8. ISBN 9780230590205
28. http://censusindia.gov.in-1A-Memorandum on the census of British India, 1871-1872
29. https://api.parliament.uk/historic-hansard/lords/1920/jul/15/government-of-india-act-1919-draft-rules
30. https://advocatespedia.com/Charter_Act,_1833
31. https://en.wikipedia.org/wiki/Ryotwari
32. https://en.wikipedia.org/wiki/Communal_Award
33. THE INDUSTRIAL EMPLOYMENT (Standing Orders) Act, 1946 Govt of India.

****